बिहार राज्य पंचायत परिषद

का

विधान

(25 अगस्त 2001 को बिहार राज्य पंचायत कौंसिल द्वारा संशोधित)

प्रकाशक
बिहार राज्य पंचायत परिषद
विद्यापति मार्ग, पटना-800 001
दूरभाष-0612-232064

सहयोग राशि : दस रूपये मात्र

बिहार राज्य पंचायत परिषद
का
विधान

धारा-1 :- इस संस्था का नाम बिहार राज्य पंचायत परिषद होगा।

कार्यक्षेत्र :- इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा। इसका प्रधान कार्यालय पटना में होगा।

उद्देश्य :-

धारा-2 :- बिहार राज्य पंचायत परिषद के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

1. पंचायत राज सम्बन्धी नियमों का अध्ययन और अनुसंधान एवं तत्सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन करना।
2. पंचायती राज की संस्थाओं को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें कार्यरत बनाना और उनके अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना।
3. ग्रामपंचायतों को भारतीय संविधान की अनुसूची 11 में उल्लिखित विषयों का केन्द्र बनाना।
4. बिहार राज्य के सभी ग्रामपंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के कार्यक्रमों में एकरूपता लाना।
5. राज्य सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को कार्यान्वित करना।
6. पंचायतीराज के प्रति सुदृढ़ जनमत तैयार करना।
7. पंचायतीराज की संस्थाओं के विकास की समस्याओं के निवारण में सरकार, पंचायतीराज की संस्थाओं तथा जनता को सहायता पहुँचाना।
8. इस राज्य की ग्रामपंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को एक संगठन में आबद्ध करना।
9. पंचायतीराज की संस्थाओं में काम करने वाले पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना।
10. वे सभी कार्य करना, जो भारतीय संविधान में ग्राम तथा राष्ट्र के निर्माण में सहायक हों।

परिभाषा

धारा-3 :- (क) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद से

अधिप्राय बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 के अन्तर्गत अधिसूचित क्रमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् से है।

(ख) सम्बद्ध ग्राम पंचायत, सम्बद्ध पंचायत समिति तथा सम्बद्ध जिला परिषद से अभिप्राय उस ग्राम पंचायत, उस पंचायत समिति, और उस जिला परिषद से है जो प्रति वर्ष क्रमशः पचास रूपये, दो सौ पचास रूपये तथा एक हजार पाँच सौ रूपये सम्बद्धता शुल्क बिहार राज्य पंचायत परिषद को देकर सम्बद्धता प्राप्त कर लें।

(ग) प्रखण्ड से अभिप्राय है बिहार राज्य में प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार अधिसूचित प्रखण्ड का क्षेत्र जिसका नाम प्रखण्ड रखा गया है।

(घ) जिला से अभिप्राय है, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित जिला का क्षेत्र।

(ङ) पदाधिकारी से तात्पर्य है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री तथा कोषाध्यक्ष।

(च) निर्वाचन से तात्पर्य होगा, प्रखण्ड, जिला तथा राज्य पंचायत परिषद तथा कौंसिल का निर्वाचन।

धारा-4 :- बिहार राज्य पंचायत परिषद के निम्नलिखित अंग होगें :-

(क) बिहार राज्य पंचायत परिषद।

(ख) बिहार राज्य पंचायत कौंसिल

(ग) जिला पंचायत परिषद।

(घ) जिला पंचायत कौंसिल

(ङ) प्रखण्ड पंचायत परिषद।

(च) सभी अधीनस्थ परिषदों की कार्य समितियाँ, सभी पंचायत परिषदों द्वारा निर्मित समितियाँ तथा परामर्श दात्री एवं अन्य समितियाँ इत्यादि।

धारा-5 :- 1. बिहार राज्य पंचायत परिषद की सदस्यता सभी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिये खुली रहेगी।

2. सम्बद्धता शुल्क निम्नलिखित होगा :-

(क) ग्राम पंचायत के लिये पचास रूपये प्रतिवर्ष,

(ख) पंचायत समिति के लिये दो सौ पचास रूपये प्रतिवर्ष तथा

(ग) जिला परिषद के लिये एक हजार पाँच सौ रूपये प्रतिवर्ष।

3. निम्नलिखित व्यक्ति बिहार राज्य पंचायत परिषद के प्राथमिक सदस्य होंगे।

(क) सम्बद्ध ग्राम पंचायत के मुखिया उपमुखिया, सरपंच और उपसरपंच।

(ख) सम्बद्ध पंचायत समिति के निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा सम्बद्ध जिला परिषद के निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो उस क्षेत्र के निवासी हों।

(ग) प्रखण्ड पंचायत परिषद, जिला पंचायत परिषद तथा राज्य पंचायत परिषद के सदस्य जो क्रमशः 25 रूपये, 50 रूपये, तथा 100 रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क सम्बन्धित पंचायत परिषदों को देने पर ही सदस्य समझे जायेंगे।

(घ) जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद लगातार पांच वर्षों तक सम्बद्धता शुल्क देकर परिषद से सम्बद्ध होंगे, उसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य ही धारा 5 (3) के अनुसार परिषद के प्राथमिक सदस्य होंगे। लेकिन कोई यदि एक से अधिक पदों पर हों तो वे सम्बन्धित सभी प्रकार का शुल्क लगातार पांच वर्षों का देने पर ही सदस्य होंगे।

4. सम्बद्धता शुल्क निम्न अनुपात में निर्धारित किया जायेगा।

(1) ग्राम पंचायत का सम्बद्धता शुल्क :-

(क) राज्य पंचायत परिषद - 20 प्रतिशत।

(ख) जिला पंचायत परिषद - 30 प्रतिशत।

(ग) प्रखण्ड पंचायत परिषद - 50 प्रतिशत।

(2) पंचायत समिति का सम्बद्धता शुल्क :-

(क) प्रखण्ड पंचायत परिषद - 25 प्रतिशत।

(ख) जिला पंचायत परिषद - 50 प्रतिशत।

(ग) राज्य पंचायत परिषद - 25 प्रतिशत।

(3) जिला पंचायत परिषद का सम्बद्धता शुल्क :-

(क) जिला पंचायत परिषद - 60 प्रतिशत।

(ख) राज्य पंचायत परिषद - 40 प्रतिशत।

धारा-6 :- सभी पंचायत परिषदों, उसकी कार्य समितियों एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल पांच वर्षों का होगा :-

प्रखण्ड पंचायत परिषद

धारा-7 :- (क) साधारणतः सरकारी प्रखण्ड ही प्रखण्ड पंचायत परिषद का कार्यक्षेत्र होगा।

(ख) प्रखण्ड पंचायत परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे।

(1) उस प्रखण्ड के सभी प्राथमिक सदस्य,

(2) प्रखण्ड पंचायत परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं महामंत्री जिन्होंने पूरे एक कार्यकाल तक सेवा की हो,

(3) जिला पंचायत परिषद, राज्य पंचायत परिषद तथा अखिल भारतीय पंचायत कौंसिल के वे सदस्य जो उस प्रखण्ड के निवासी हों।

(4) स्थानीय पंचायत समिति के सभी निर्वाचित सदस्य तथा जिला परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य जो उस प्रखण्ड के निवासी हों।

(ग) प्रत्येक प्रखण्ड पंचायत परिषद अपने सदस्यों में से विहित रीति से एक अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।

(घ) अध्यक्ष को अपनी कार्यसमिति के आधे सदस्यों को मनोनित करने का अधिकार होगा। तथा आधे सदस्य विहित रीति से निर्वाचित किये जायेंगे। कार्य समिति में अध्यक्ष सहित 21 (इक्कीस) सदस्य होंगे, जिसमें दो उपसभापति, तीन मंत्री और मंत्रियों में से एक महामंत्री तथा एक कोषाध्यक्ष अध्यक्ष द्वारा मनोनित होगें। अध्यक्ष को कार्य समिति में ऐसे पाँच व्यक्तियों को मनोनित करने का अधिकार होगा जो परिषद के प्राथमिक सदस्य न भी हों परन्तु, पंचायत के कार्यों में दिलचस्पी लेते हों, अथवा इस विषय के विशेषज्ञ हों। पदाधिकारियों में कम से कम एक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं एक महिला तथा कार्य समिति सदस्यों में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिये।

यदि अध्यक्ष अपने निर्वाचन के तीस दिनों के अन्दर कार्य समिति तथा पदाधिकारियों का मनोनयन नहीं कर सके तो जिला पंचायत परिषद की कार्य समिति को अधिकार होगा कि सम्बन्धित प्रखण्ड पंचायत परिषद की कार्य समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों को मनोनीत कर दें।

(5) यदि प्रखण्ड पंचायत परिषद के अध्यक्ष का स्थान किसी कारणवश रिक्त हो तो वहाँ वरीय उपाध्यक्ष और जहाँ अध्यक्ष और वरीय उपाध्यक्ष दोनों का स्थान रिक्त हो तो वहाँ काम चलाने के लिये जिला पंचायत परिषद की कार्य समिति को अधिकार होगा कि प्रखण्ड पंचायत परिषद के सदस्यों में से धारा-5 (3) को देखते हुए कामचलाऊ समिति का गठन कर दें। यह कामचलाऊ समिति छः माह से अधिक के लिये नहीं होगी।

जिला पंचायत परिषद

धारा-8 :- (क) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिला का क्षेत्र ही जिला पंचायत परिषद का क्षेत्र होगा।

(ख) जिला पंचायत परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(1) सम्बद्ध पंचायत समिति के प्रमुख, उपप्रमुख तथा सम्बद्ध जिला परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य,

(2) उस जिले के सभी प्रखण्ड पंचायत परिषदों के अध्यक्ष और महामंत्री,

(3) जिला पंचायत परिषद के सभी भूतपूर्व अध्यक्ष तथा महामंत्री जिन्होंने पूरे एक कार्यकाल तक सेवा की हो,

(4) अखिल भारतीय पंचायत कौंसिल तथा राज्य पंचायत परिषद के वे सदस्य जो उस जिले के निवासी हों।

(ग) प्रत्येक जिला पंचायत परिषद विहित रीति से अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।

(घ) अध्यक्ष को अपनी कार्य समिति के आधे सदस्यों को मनोनीत

बिहार राज्य पंचायत परिषद

का

विधान शुद्धिकरण

धारा—3 (ड) कार्य समिति में अध्यक्ष सहित 31 (इकतीस) सदस्य होंगे।

धारा—8 (ख) (5) जिला पंचायत परिषद के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत वे सदस्य जो प्राथमिक सदस्य न भी हों।

धारा—9 (ख) (1) प्रत्येक प्रखंड पंचायत परिषद के अध्यक्ष।

धारा—9 (ख) (5) सभी सम्बद्ध जिला परिषदों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष।

सम्बन्धित जिला की कार्य समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों को मनोनित कर दे।

(ङ) जिला पंचायत परिषद का कार्यालय जिले के मुख्यालय में होगा।

(घ) 1. जिला पंचायत कौंसिल- प्रत्येक जिला में नीचे लिखे सदस्यों की एक जिला पंचायत कौंसिल गठित होगी :-

(1) जिला पंचायत परिषद की कार्य समिति के सभी सदस्य।

(2) प्रखण्ड पंचायत परिषद के अध्यक्ष तथा महामंत्री।

(3) राज्य पंचायत कौंसिल के वे सदस्य जो उस जिला के निवासी हों :-

(4) जिला पंचायत परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा महामंत्री जिन्होंने पूरे एक कार्यकाल तक सेवा की हो।

(5) पंचायत समितियों के प्रमुख।

2. जिला पंचायत परिषद के अध्यक्ष महामंत्री ही क्रमशः जिला पंचायत कौंसिल के अध्यक्ष और महामंत्री होंगे।

(3) जिला पंचायत परिषद के नीचे लिखे कर्त्तव्य एवं अधिकार होंगे :-

(अ) जिला पंचायत परिषद का बजट, आय-व्यय तथा वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार एवं स्वीकृति करना।

(आ) पदों की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति करना।

(इ) पंचायत परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये वे सभी कार्य करना जिसका भार किसी अन्य पदाधिकारी अथवा समिति पर स्पष्टतः नहीं सौंपा गया हो।

बिहार राज्य पंचायत परिषद

धारा-9 :- (क) भारत सरकार द्वारा निर्धारित बिहार राज्य का क्षेत्र ही बिहार राज्य पंचायत परिषद का कार्य क्षेत्र होगा।

(ख) बिहार राज्य पंचायत परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे।

(1) प्रत्येक प्रखण्ड पंचायत परिषद के अध्यक्ष एवं महामंत्री।

(2) धारा 9 (घ) (1) के अनुसार बिहार राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष द्वारा मनोनित वे सदस्य जो प्राथमिक सदस्य न भी हों।

(3) सभी जिला पंचायत परिषदों के अध्यक्ष और महामंत्री जिन्होंने पूरे एक कार्यकाल तक सेवा की हो तथा जिला परिषदों के भूतपूर्व अध्यक्ष।

(4) राज्य पंचायत परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष और महामंत्री जिन्होंने पूरे एक कार्यकाल तक सेवा की हो।

(5) अखिल भारतीय पंचायत कौंसिल के वे सदस्य जो बिहार के निवासी हों।

(6) सभी सम्बद्ध जिला परिषदों के निर्वाचित सदस्यगण।

(ग) राज्य पंचायत परिषद के सदस्य विहित रीति से अपने में से एक अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे।

(घ) अध्यक्ष को अपनी कार्य समिति के आधे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होगा। तथा आधे सदस्य विहित रीति से निर्वाचित किये जायेंगे। कार्य समिति में अध्यक्ष सहित 41 सदस्य होंगे जिनमें चार उपाध्यक्ष, पाँच मंत्री, मंत्रियों में से एक महामंत्री होंगे, तथा एक कोषाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष को कार्य समिति में पाँच ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार होगा जो प्राथमिक सदस्य न भी हों, परन्तु पंचायत राज के कामों में विशेष दिलचस्पी लेते हों और उसके विशेषज्ञ हों। पदाधिकारियों में कम से कम एक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति तथा महिला का तथा कार्य समिति के सदस्यों में भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिये। अध्यक्ष अपने निर्वाचन के तीस दिनों के भीतर ही कार्यसमिति के सदस्यों तथा पदाधिकारियों का मनोनयन आवश्यक रूप से कर लेंगे। साथ ही अध्यक्ष अधिकतम दस ऐसे व्यक्तियों को कार्यसमिति में स्थायी अथवा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रख सकेंगे जो पंचायती राज के कार्यों मे विशेष दिलचस्पी लेते हों और विशेषज्ञ हों।

(ङ)-बिहार राज्य पंचायत कौंसिल

(ङ) नीचे लिखे सदस्यों की बिहार राज्य पंचायत कौंसिल गठित होगी।

(1) बिहार राज्य पंचायत परिषद की कार्य समिति के सभी सदस्य।

(2) अखिल भारतीय पंचायत कौंसिल के वे सदस्य जो इस राज्य के निवासी हों।

(3) सभी जिला पंचायत परिषद के अध्यक्ष एवं महामंत्री।

(4) सभी जिला पंचायत परिषदों के पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने पूरे एक कार्यकाल तक सेवा की हो।

(5) राज्य पंचायत परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं महामंत्री।

(च) राज्य पंचायत परिषद के अध्यक्ष तथा महामंत्री ही राज्य पंचायत कौंसिल के सभापति एवं महामंत्री होंगे।

(छ) राज्य पंचायत कौंसिल के निम्नलिखित कर्त्तव्य एवं अधिकार

होंगे :-

(1) राज्य पंचायत परिषद का बजट, आय व्यय तथा वार्षिक प्रतिवेदन की स्वीकृति करना।

(2) राज्य पंचायत परिषद के पद या पदों के आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति करना।

(3) राज्य पंचायत परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सभी आवश्यक कदम उठाना जिसके लिये कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं हो।

बैठक

धारा-10 :- (क) राज्य पंचायत परिषद की बैठक सामान्यत: साल में एक बार जिला पंचायत परिषदों की दो बार तथा प्रखण्ड पंचायत परिषदों की कम से कम दो बार हुआ करेगी। साथ ही जिला पंचायत कौंसिल तथा राज्य पंचायत कौंसिल की बैठक साधारणत: दो बार होगी। आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेगी।

(ख) परिषदों तथा कौंसिलों की बैठकों की सूचना समय स्थान एवं कार्यक्रम के साथ कम से कम 15 (पन्द्रह) दिन पूर्व निकल जानी चाहिये। परन्तु विशेष अवस्था में किसी विशेष कार्यों के लिये इससे कम समय की सूचना पर भी बैठक बुलाई जा सकेगी।

कार्यसमिति की बैठक

धारा-11 :- (क) राज्य पंचायत परिषद की कार्यसमिति की बैठक वर्ष में साधारणत: चार बार जिला पंचायत परिषद की कार्यसमिति की बैठक वर्ष में साधारणत: चार बार तथा प्रखण्ड पंचायत परिषद की कार्यसमिति की बैठक वर्ष में चार बार होगी।

(ख) बैठक की सूचना, समय स्थान एवं कार्यक्रम के साथ दस दिन पहले कार्यालय से निकल जानी चाहिये।

विशेष अवस्था में किसी विशेष कार्य के लिये इससे कम समय की सूचना पर भी कार्यसमिति की बैठक बुलाई जा सकेगी।

कार्यसमिति के कर्त्तव्य और अधिकार

धारा-12 :- (क) परिषद द्वारा विशिष्ट कर्त्तव्यों का पालन करना तथा परिषद द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को कार्य रूप में परिणत करना।

(ख) परिषद के सामान्य कार्यों के सम्बन्ध में सुझाव देना।
(ग) आय-व्यय का लेखा बैठक में समय समय पर प्रस्तुत करना।
(घ) वार्षिक आय-व्यय को प्रस्तुत करके परिषद के सामने स्वीकृति के लिये रखना।
(ङ) परिषद के सम्मेलन के लिये उपर्युक्त प्रस्तावों को प्रस्तुत करके विषय निर्धारणी समिति के समक्ष रखना।
(च) परिषदों तथा समितियों के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के निर्वाचन सम्बन्धी नियम बनाना।
(छ) इस विधान एवं नियमावली के कार्यान्वयन के लिये नियम बनाना तथा लागू करना।

कार्यवाही गोपनीय रखने का अधिकार

धारा-13 :- कार्यसमिति को अपनी कार्यवाही का कोई अंश परिषद के हित की दृष्टि से प्रकाशित करने या गोपनीय रखने का अधिकार होगा।

कोष

धारा-14 :- राज्य पंचायत परिषद का एक कोष होगा जिसका नाम बिहार राज्य पंचायत परिषद कोष होगा। उसमें निम्नलिखित धन राशियाँ होंगी।
(क) प्राथमिक सदस्यता शुल्क में राज्य पंचायत परिषद का हिस्सा।
(ख) सम्बद्धता शुल्क में राज्य पंचायत परिषद का हिस्सा।
(ग) प्रतिनिधि शुल्क।
(घ) दान, अंशदान, अनुदान एवं कर्ज।
(ङ) विविध।

धारा-15 :- अधीनस्थ परिषदों के भी अपने अपने कोष होंगे। जिसमें प्राथमिक सदस्य शुल्क के निर्धारित अंश के अलावा कोष के लिये प्राप्त दान तथा दूसरे प्रकार की आय सम्मिलित होगी।

धारा-16 :- सम्बद्धता शुल्क संग्रह तथा निर्धारित अंश के वितरण का अधिकार जिला पंचायत परिषद को होगा।

बैंक में रुपया जमा करने तथा निकालने का अधिकार

धारा-17 :- परिषद का सभी धन (राशि) किसी मान्यता प्राप्त बैंक में जमा रहेगा और कार्य समिति के अनुमोदन के बाद अध्यक्ष, महामंत्री तथा कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर से निकाला जायेगा। इस सम्बन्ध में कार्यसमिति का निर्णय (स्वीकृत प्रस्ताव)

(3) स्वागत समिति के अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष तथा अन्य तीन सदस्य जिन्हें स्वागत समिति की कार्यकारणी समिति चुनेगी।

बैठक बुलाने का अधिकार

धारा-25 :- विषय निर्वाचनी समिति की बैठक बुलाने का अधिकार राज्य पंचायत परिषद के महामंत्री को होगा और इसकी बैठकों के लिये सममेलन के अवसर पर ऐलान द्वारा सूचना पर्याप्त होगी।

धारा-26 :- सम्मेलन में उपस्थापित करने के लिये प्रत्येक प्रस्ताव का विषय निर्वाचनी समिति द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य होगा।

धारा-27 :- कार्य समिति द्वारा पेश किये जाने वाले प्रस्तावों की सूचना सम्मेलन की नियत तिथि से 15 दिन पूर्व राज्य पंचायत परिषद के महामंत्री के पास आ जानी चाहिये।

धारा-28 :- स्वागत समिति अपने गठित होने तथा अपने पदाधिकारियों के निर्वाचन की सूचना अविलम्ब राज्य पंचायत परिषद को देगी।

धारा-29 :- द्रव्य पर अधिकार
स्वागत समिति को सम्मेलन के निमित्त धन एकत्रित करने और एकत्रित द्रव्य तथा स्वागत सदस्य शुल्क को व्यय करने का अधिकार होगा।

नोट : अधिवेशन समाप्त होने के बाद बचे हुए धन का आधा राज्य पंचायत परिषद का और आधा उस जिला पंचायत परिषद का होगा।

धारा-30 :- आय-व्यय का लेखा - स्वागत समिति द्वारा सम्मेलन समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर राज्य पंचायत परिषद के महामंत्री के पास आय-व्यय का लेखा भेज दिया जायेगा।

नोट : जिला पंचायत परिषद तथा प्रखण्ड पंचायत परिषद के सममेलनों को स्वागत समिति के गठन तथा अन्य सम्बन्धित अनुशासन कार्यों के लिये जिला पंचायत परिषद तथा प्रखण्ड पंचायत परिषद को पूरा अधिकार होगा।

धारा-31 :- परिषद के किसी सदस्य पर चुनाव सम्बन्धी अपराध के लिये अनुशासन की कार्रवाई राज्य पंचायत परिषद की कार्य समिति द्वारा की जा सकती है।

धारा-32 :- परिषद का कोई पदाधिकारी या सदस्य, परिषद के उद्देश्यों, नियमों अथवा उपनियमों या परिषद के हित के विरूद्ध आचरण करे तो राज्य पंचायत परिषद की कार्य समिति को अधिकार होगा कि परिषद के किसी पद या सदस्यता से एक निश्चित

अवधि के लिये उसे हटा दे। साथ ही राज्य पंचायत परिषद की कार्य समिति को यह भी अधिकार होगा कि जिला पंचायत परिषद तथा प्रखण्ड पंचायत परिषदों के पदाधिकारियों, कार्य समितियों तथा अपने अधीनस्थ किसी अंग के पदाधिकारियों को तथा समितियों के निष्क्रियता या उपर्युक्त कारणों से एक निश्चित अवधि के लिये यथास्थिति निलम्बित करे, अवक्रमित करे या भंग कर दे और आवश्यकतानुसार कामचलाऊ व्यवस्था करे। परन्तु अवक्रमित करने या भंग करने के पहले यथास्थिति स्पष्टीकरण का अवसर देना आवश्यक होगा। प्रखण्ड स्तरीय उपर्युक्त अनुशासन की व्यवस्था करने का अधिकार जिला पंचायत परिषद की कार्य समिति को भी होगा और उनके निर्णय के विरूद्ध राज्य पंचायत परिषद की कार्य समिति में अपील हो सकेगी।

जिस पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस धारा के अनुसार उनके पद से हटा दिया जाये वे अथवा अवक्रमित परिषदों, समिति एवं पदाधिकारियों को अपने पद से हटाये जाने अथवा अवक्रमित होने की तिथि से पाँच वर्षों तक पंचायत परिषद के किसी भी पद अथवा सदस्यता के लिये निर्वाचित अथवा मनोनीत होने के लिये अयोग्य समझे जायेंगे।

विधान परिवर्तन

धारा-33 :- विधान एवं नियमावली में परिवर्तन या संशोधन करने का अधिकार बिहार राज्य पंचायत परिषद के सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों को बहुमत के आधार पर होगा। ऐसे प्रस्तावों की सूचना सम्मेलन की तिथि से पन्द्रह दिन पहले महामंत्री के पास आ जानी चाहिये।

निर्वाचन

धारा-34 :- बिहार राज्य पंचायत परिषद की कार्य समिति को अधिकार होगा कि सभी प्रकार के निर्वाचन के लिये राज्य स्तर पर पदाधिकारियों से भिन्न एक राज्य निर्वाचन प्रभारी का मनोनयन करे जो राज्य भर में निर्वाचन की व्यवस्था करेंगे। तथा राज्य पंचायत परिषद की कार्यसमिति के निश्चयों तथा निर्देशों का कार्यान्वयन करेंगे।

निर्वाचन विवाद

धारा-35 :- (क) राज्य पंचायत परिषद तथा जिला पंचायत परिषदों के

पदाधिकारियों के निर्वाचन विवादों के निर्णय एवं जिला निर्वाचन न्यायाधिकरण के निर्णय के विरूद्ध अपील की सुनवाई एवं निर्णय के लिये राज्य पंचायत परिषद की कार्य समिति तीन सदस्यों की एक राज्य निर्वाचन न्यायाधिकरण गठित करेगी और उन्हीं में से एक को न्यायाधिकरण का अध्यक्ष मनोनित कर देगी, परन्तु, पंचायत परिषद के पदाधिकारी इसके सदस्य नहीं होंगे।

(ख) राज्य पंचायत परिषद की कार्य समिति को अधिकार होगा कि इसके लिये आवश्यक नियम बनावे।

विविध

धारा-36 :- कार्य समिति का कोरम कुल सदस्यों का तृत्यांश और परिषदों का कोरम उनके सकल सदस्यों का दशांश होगा। जिस बैठक में कोरम पूरा न होगा वह बैठक स्थगित होगी और उसकी आगामी बैठक में कोरम का कोई प्रश्न नहीं होगा।

धारा-37 :- जो सदस्य बिना कारण दिखाये लगातार चार बैठकों में उपस्थित न होंगे, उनका स्थान रिक्त समझा जायेगा।

धारा-38 :- परिषद के आर्थिक कार्यों का वर्ष 1 अप्रील से 31 मार्च तक माना जायेगा।

धारा-39 :- सामान्य सदस्यों, समिति और समितियों और परिषद तथा परिषदों के बीच इस विधान एवं नियमावली के प्रावधानों तथा प्रयोगों के सम्बन्ध में सभी विवादों का निर्णय कार्य समितियाँ उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ही करेंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा। वह निर्णय सदस्यों, समितियों तथा परिसदों पर लागू होगा तथा किसी न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा।

धारा-40 :- अयोग्यता :- ऐसे व्यक्ति परिषद के प्राथमिक सदस्य या कार्य समिति के सदस्य या परिसद के पदाधिकारी यथास्थिति मनोनीत होने के लिये अयोग्य समझे जायेंगे।

(क) जो विकृत मस्तिष्क के हों।

(ख) जो राज्य सरकार, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत अथवा उपर्युक्त संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करनें वाली किसी अन्य संस्थाओं के वैतनिक नौकरी करते हों।

(ग) जो वयक्ति धारा-32 के अन्तर्गत हटा हदये गये हों।

धारा-41 :- यह विधान एवं नियमावली अविलम्ब लागू समझा जायेगा।

• • •

Certificate of Registration of Societies
Act XXI of 1860
No. 6 of 1959-60

I hereby certify that Bihar Rajya Panchayat Parishad Patna has this day been registered under the Societies Registration Act XXI of 1860.

Given under my hand at Patna this Seventh day of May one thousand nine hundred and fifty-nine

Sd. Illigible
7.5.59

For
Inspector General of
Registration, Bihar

B.S.P. (Labour) 23.11.1000-21.9.1959

A.K.

TRUE COPY

No. P/MI–220124/54–4590–GP

GOVERNMENT OF BIHAR

GRAM PANCHAYAT DEPARTMENT

Bihar

Shri D.D. Sen,

Additional Under Secretary to Government.

To,

The President,

Bihar Rajya Panchayat Parishad, Patna

Patna, the 24th July, 1954.

Sub.– Recognition of the Bihar Rajya Panchayat Parishad

Sir,

I am directed to say that the State Government are Pleased to accord official recognition to the Bihar Rajya Panchayat Parishad.

I, am to request that changes made from time to time in the rules of Bihar Rajya Panchayat Parishad may be reported for the information of Government.

Yours faithfully

Sd. D.D. Sen

Addl. Under Secretary to Government

Gram Panchayat Department